राजस्थान सरकार

(कायदा - 129)

जनरल रूल्स सिविल रूल्स 129 अपेन्डेंक्स फार्म नंबर 8 के

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बिजौलिया जिला - भीलवाडा (राज.)

२०२५/36

किस्म मुकदमा	नंबर मुकदमा	तारीख दायर	तारीख फैसला	पेशी दिनांक
1	2	3	4	5
111-128 प्रार्थना-पत्र	21/25 २१/२५	17/2/25		10/3/25 17/3/25 २4/3/25

अनवान

श्री धीतरलाल पुत्र नन्दा श्री प्रभुलाल पुत्र कजा

निवासी जावदा निवासी जावदा

अधिवक्ता वादी / प्रार्थी /अपीलान्ट अधिवक्ता प्रतिवादी / विपक्षी / रेस्पोडेंट

डिक्रीदार मदयून

श्री M.K.D. श्री

FORM NO. III

फर्द अहकम

नियम 26

Crim I

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां, भीलवाड़ा

छीतरलाल बनाम प्रभूलाल

किस्म मुकदमा 111-128

प्रकरण संख्या 21 सन् 2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
17/2 2025	प्रार्थना–पत्र सीगे से बाद जांच पेश हुआ। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगणों की तलबी जरिये सम्मन मय नकल प्रार्थना–पत्र, विपक्षीगणों को भेजी जावें। पत्रावली आगामी पेशी दिनांक 10/3/2025 को वास्ते तलबी/जवाब पेश हों। Sd/- उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां	
10/3/25	पत्रावली पेश हुई। अभिभावक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान ... दौरे पर हैं। पत्रावली दिनांक 17/3/25 ... 5-71 पेश हो। Sd/- उप खण्ड अधिकारी	
17/3/25	पत्रावली पेश हुई। अभिभावक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान ... दौरे पर हैं। पत्रावली दिनांक 24/3/25 ... वास्ते 3.71 पेश हो। Sd/- उप खण्ड अधिकारी	
24/3/25	पत्रावली पेश हुई। समस्त विपक्षीगण की बाद तामील प्राप्त हुई, जिसे शामिल पत्रावली किया गया। विपक्षी बाद सूचना अनुपस्थित रहे। विपक्षीगणों को उबार आवाज लगाई गई परन्तु कोई उपस्थित नहीं हुआ। पत्रावली मे विपक्षीगणो के विरूद्ध एक पक्षीय आदेश पारित किए गए। आदेश के पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियां मे लिखा जावे। पत्रावली बुनत शुमार होकर, नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर है। Sd/- उप खण्ड अधिकारी बिजौलियां जिला-भीलवाड़ा	

(मुहर) ...य उप खण्ड अधिकारी ... जिला–भीलवाड़ा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रकरण संख्या :– 21/25

तारीख दायर 7/2/25

छीतरलाल पुत्र नन्दा जाति रेगर उम्र वयस्क निवारी जावदा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज.)

.......................प्रार्थी

बनाम

1. प्रभूलाल पुत्र उंकार रेगर जाति रेगर उम्र वयस्क निवारी जावदा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज.)
2. रमेश कुमार पुत्र शंकरलाल जाति रेगर उम्र वयस्क निवासी जावदा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज.)

................विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 – 128 रा0ले0रे0एक्ट

–: आदेश :–

दिनांक 25/3/25

प्रार्थना पत्र प्रार्थी ने जरिये अभिभाषक **श्री मुकेश कुमार धाकड एडवोकेट** प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते भूमि है विपक्षीगण आये दिन सीमा विवाद को लेकर झगडा करते है। अतः पत्थरगढ़ी का आदेश प्रदान कराया जावें साथ में प्रार्थना पत्र की ताईद में शपथपत्र संलग्न है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर करवाया गया। प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली में संलग्न जमाबन्दी सम्वत 2074–2077 के अवलोकन से प्रार्थी वादग्रस्त आराजीयात का खातेदार काश्तकार है। पड़ौसियान के विवाद करने बाबत् शपथपत्र संलग्न है। पत्थरगढ़ी से किसी के स्वत्व पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। भू–अभिलेख निरीक्षक **बिजौलियां खुर्द** को पत्थरगढ़ी बाबत् कमिश्नर नियुक्त किया जाता हैं।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राजस्थान लेण्ड रेकार्ड एक्ट स्वीकार किया जाकर **मौजा ग्राम मानपुरा पटवार हल्का थड़ौदा तहसील बिजौलियाँ की सरहद में खाता संख्या 187 पर अंकित आराजी संख्या 507/492 रकबा 2.0882 हैक्टेयर भूमि** बशामलात पड़ौसियान के पत्थरगढ़ी करने हेतु आदेशित किया जाता है एवं पत्थरगढ़ी शुल्क राशि 100 /– रूपये राजकोष में जमा होने पर पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियाँ को लिखा जावें।

प्रार्थना पत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हो।

आदेश सुनाया गया

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ

15

उपखण्ड अधिकारी, बिजौलियाँ
जिला–भीलवाड़ा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रकरण संख्या – 21/25

प्रेषिति :–

तारीख दायर 17/2/25

तहसीलदार

बिजौलियाँ

विषय :–प्रकरण संख्या ....21........../ 2024 पत्थरगढ़ी बाबत्।

छीतरलाल पुत्र नन्दा जाति रेगर उम्र वयस्क निवासी जावदा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज.)

.......................प्रार्थी

बनाम

1. प्रभूलाल पुत्र उंकार रेगर जाति रेगर उम्र वयस्क निवासी जावदा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज.)
2. रमेश कुमार पुत्र शंकरलाल जाति रेगर उम्र वयस्क निवासी जावदा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज.)

................विपक्षीगण

उपर्युक्त विषयान्तर्गत अनवानी प्रकरण मैं आदेश होकर लेख है जाकर **मौजा ग्राम मानपुरा पटवार हल्का थड़ौदा तहसील बिजौलियाँ की सरहद में खाता संख्या 187 पर अंकित आराजी संख्या 507/492 रकबा 2.0882 हैक्टेयर भूमि** की बशामलात पडौसीयान के पत्थरगढ़ी की जावें। मौके पर पत्थरगढ़ी के दौरान कब्जा किसी अन्य का पाया जावे तो जरिये पत्थरगढ़ी कब्जा नही हटाया जावे तथा समक्ष न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने हेतु सूचित करें। आदेश पत्थरगढी हेतु भू–अभिलेख निरीक्षक बिजौलियांखुर्द को कमिश्नर नियुक्त किया जाता हैं। कमिश्नर फीस प्रार्थी वक्त पत्थरगढ़ी मौके पर अदा करेगा। पत्थरगढ़ी करने से पुर्व पड़ोसी एंव विपक्षीगणो को सुचित करे।

पत्थरगढ़ी कर पालना रिपोर्ट 20 दिन में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करे।

उपखण्ड अधिकारी

बिजौलियाँ

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला–भीलवाड़ा